भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4102

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

बिहार में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी विकास

4102 श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा न्यायपालिका के अवसंरचना से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आज की तारीख के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अव्ययित शेष धनराशि (केन्द्र और राज्य का हिस्सा) का ब्यौरा क्या है;

(ग) पटना में जिला न्यायालय के निकट वकीलों के लिए कक्ष के निर्माण में क्या प्रगति हुई और इसके लिए अनुमोदित किया गया अनुमान कितना है; और

(घ) क्या बिहार सरकार ने वकीलों के कक्ष, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के लिए, संघ सरकार, विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रही है । यह स्कीम 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । यह जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण को कवर करती है । अपनी स्थापना के बाद से अब तक स्कीम के अधीन 9,009.38 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 2014-15 से अब तक 5,565.08 करोड़ रुपए

(61.77%) जारी किए जा चुके हैं । कुल 9000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्ययके साथ स्कीम 2021-22 से 2025-26 तक के लिए जिसमें 5307.00 करोड़ रुपए का केन्द्रीय हिस्सा सम्मिलित है, बढ़ा दी गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयो के अतिरिक्त वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और शौचालयों के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम का विस्तार किया गया है ।

अब तक इस स्कीम के अधीन बिहार राज्य सरकार को 412.98 करोड़ रुपए की रकम निर्गत की जा चुकी है, जिसमें से 153.34 करोड़ रुपए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2021-22 के दौरान जारी किए गए, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है

(रकम करोड़ रुपए में)

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
बिहार राज्य सरकार को जारी की गई निधियां	87.62	65.72	0

केन्द्र के हिस्से के रुप में 857.42 करोड़ रुपए की रकम और राज्य के हिस्से के रुप में 476.72 करोड़ रुपए का उपयोग अभी भी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाना है, जिसमें केन्द्रीय हिस्से के लिए 105.76 करोड़ रुपए और बिहार राज्य द्वारा राज्य के हिस्से के लिए 96.13 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

बिहार राज्य सरकार ने न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के फ्लेक्सी-निधियों के उपबंधों के अधीन 21.64 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ जिला न्यायालय, पटना के पास वकीलों के हॉल के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, जिस पर विभाग ने भी सहमति दे दी थी । राज्य सरकार को परियोजना के लिए और इसे पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने शहरी विकास और आवास विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना आवश्यक है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए 229.53 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से की आवश्यकता को प्रस्तुत किया था । तथापि राज्य स्कीम के अधीन निधि जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और संशोधित लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अनुपालन जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया ।

****